वानकिी रपिोर्ट में जैववविधिता: FAO

प्रलिम्सि के लयि:

खाद्य और कृषि संगठन, भारत राज्य वन रपिोर्ट, 2021, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, वन्यजीव संरक्षण अधनियिम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधनियिम 1986, जैववविधिता अधनियिम 2002

मेन्स के लयि:

वन संरक्षण और उसका महत्त्व, वन संसाधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी **"वानकिी रपिोर्ट में जैववविधिता को प्रमुखता" (Mainstreaming Biodiversity in Forestry Report)** के अनुसार, **'उत्पादक वनों' में जैववविधिता को एकीकृत करना सर्वोपरि है।**

- जैववविधिता को मुख्यधारा में लाना **प्राकृतकि संसाधनों के संरक्षण और सतत् उपयोग को बढ़ावा देने के लयि प्रमुख सार्वजनकि एवं नजिी अभकिर्त्ताओं की नीतयिों, रणनीतयिों तथा वधियिों में जैववविधिता के वचिारों को लागू करने की प्रक्रयिा है।**

जैववविधिता को मुख्यधारा में लाने हेतु चुनौतयिाँ:

- **वनों की कटाई:** वनों की कटाई प्रतविर्ष 10 मलियिन हेक्टेयर (मुख्य रूप से कृषि विस्तार के लयि खासकर कम आय वाले उष्णकटबिंधीय देशों में) की खतरनाक दर से जारी है।
- **अवैध वन गतविधियिाँ:** अवैध लकड़ी की कटाई का अनुमान वैश्वकि लकड़ी उत्पादन का 15-30% है।
- **नम्नि संरक्षण प्रोफाइल:** संरक्षति क्षेत्रों के बाहर संरक्षण की नम्नि प्रोफाइल।
- **अपर्याप्त क्षमता:** वकिासशील देश वन और जैववविधिता नयिमों को लागू करने के लयि संघर्ष करते हैं।
- **सहभागति की कमी:** स्वदेशी लोगों और स्थानीय सामुदायकि भागीदारी की कमी।
- **कमज़ोर शासन:** कमज़ोर शासन और कानून प्रवर्तन संरक्षति क्षेत्रों में जैववविधिता संरक्षण की सबसे बड़ी बाधा हैं।

वन संरक्षण का महत्त्व:

- **आर्थकि लाभ के लयि प्रबंधति वन** जैववविधिता संरक्षण हेतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- **वन पूरी भूमि सतह के 31% पर फैले हुए हैं,** ये अनुमातः 296 गीगाटन कार्बन को संग्रहीत करते हैं और दुनयिा के अधकिांश स्थलीय जीवों को आवास प्रदान करते हैं।
- दुनयिा के जंगल लगभग 80% उभयचर प्रजातयिों, 75% पक्षी प्रजातयिों और 68% स्तनपायी प्रजातयिों के लयि आवास प्रदान करते हैं। इसके अलावा सभी संवहनी पौधों का लगभग 60% उष्णकटबिंधीय जंगलों में पाया जाता है।
- **जैववविधिता को बनाए रखने में वनों की भूमकिा** स्पष्ट रूप से **वनों के लयि संयुक्त राष्ट्र रणनीतकि योजना 2017-2030 द्वारा मान्यता प्राप्त है।**
    - वर्ष 2019 में FAO ने कृषि क्षेत्रों में जैववविधिता को मुख्यधारा में लाने की रणनीति अपनाई।

भारत में वन और जैववविधिता संरक्षण की स्थति:

- **वन और वृक्ष आवरण:**
    - भारत वन स्थति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, कुल वन और वृक्ष आवरण **7,13,789 वर्ग कलिोमीटर** है, जो देश के भौगोलकि क्षेत्र का 21.71% है, यह **वर्ष 2019 के 21.67% से अधकि** है।
    - **उच्चतम वन क्षेत्र/आच्छादन वाले राज्य:** मध्य प्रदेश > अरुणाचल प्रदेश > छत्तीसगढ़ > ओडशिा > महाराष्ट्र।

- **संवैधानिक प्रावधान:**
  - **42वें संशोधन अधिनियम, 1976** के माध्यम से शिक्षा, बाट और माप तथा न्याय प्रशासन के साथ वन एवं जंगली जानवरों व पक्षियों के संरक्षण को राज्य से **समवर्ती सूची में स्थानांतरित** कर दिया गया था।
  - राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के तहत **अनुच्छेद 48 A** में कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं देश के वनों व वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।
  - संविधान के **अनुच्छेद 51 A (g)** में कहा गया है कि वनों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।

भारत के वन और जैवविविधता को नियंत्रित करने वाली नीतियाँ:

- भारतीय वन अधिनियम, 1952
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- राष्ट्रीय वन नीति, 1988
- राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम
- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- जैव विविधता अधिनियम, 2002
- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
- वन (संरक्षण) नियम, 2022

रिपोर्ट की सिफारिशें:

- प्राकृतिक वनों को **एक विशिष्ट वन वृक्षारोपण** में बदलने से रोकना।
- लाभों के समान बँटवारे को बढ़ाने पर बल देने के साथ **स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के वन अधिकार** को मान्यता देना।
- पौधों और वन्यजीवों के ओवरहार्वेस्टिंग को नियंत्रित करने के लिये हार्वेस्टिंग प्रजातियों के स्थायी प्रबंधन को सुनिश्चित करना।
- अन्य भूमि उपयोग क्षेत्रों में जैवविविधता को मुख्यधारा में लाते हुए एक बहुक्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाना।
- जैवविविधता लाभों को बढ़ावा देने और ज्ञान एवं क्षमता विकास में निवेश करने के लिये कम उत्पादन हेतु मुआवज़े जैसे आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रतिबद्धताओं का लाभ उठाने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी में संलग्न होने जैसे बाज़ार-आधारित उपकरणों को सुविधाजनक बनाना।
- जैवविविधता संरक्षण को बढ़ाने के लिये बहाली (Restoration) पर वैश्विक गति का लाभ उठाना।

आगे की राह

- वन क्षेत्र में जैवविविधता को मुख्यधारा में लाने के लिये एकीकृत बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हैं।
- वानिकी में जैवविविधता को मुख्यधारा में लाने में वन नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं और निवेशों को प्राथमिकता देना शामिल है जिनका पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों व आनुवंशिक स्तरों पर जैवविविधता का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mainstreaming-biodiversity-in-forestry-report-fao